न्यायालय **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग**
इजलास श्री **सुनील कुमार बिंगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 28 / 2023

1—रेनू पुत्री घासीराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां, हाल आबाद कस्बा डीग जिला डीग प्रान्त राजस्थान

प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कामां जिला डीग राजस्थान।

उपस्थित अधिवक्ता

1— श्री देवेन्द्रसिंह प्रार्थी अधिवक्ता

2— पैरोकार सरकार

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान
भू—राजस्व अधिनियम—1956

निर्णय

दिनांक 24.04.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि आराजी खसरा भूमि के सावक खसरा नम्बर 3858 मिन रकवा 1 बीघा हाल खसरा नम्बर 1984 / 0.16 हैक्टेयर वाके कस्बा कामां नं0—2 तहसील कामां में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 3858 मिन रकवा 1 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1984 / 0.16 हैक्टर बना जिस पर रेनू पुत्री घासीराम जाति ब्राहमण निवासी कामां दर्ज रिकार्ड है। और पूर्व से ही अपने खातेदार के रूप में मौके कब्जानुसार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और प्रार्थीया की अन्य आराजी जिसके खसरा नम्बर 1993 / 0.14 व 1994 / 0.15 खसरा नम्बरान आपस में मौके पर एक दूसरे से सटे हुये हैं जिन पर प्रार्थीया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जब नया ट्रेस नक्शा कायम किया गया तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से खिलाफ कानून व मौका कब्जा को बिना जांच किये प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1984 / 0.16,व 1993 / 0.14 के बीच में खसरा नम्बर 1985 / 0.04 को नक्शा ट्रेस में गलत दर्शाया है । जो गलत है व खिलाफ कानून है जबकि पूर्व के नक्शा ट्रेस में ऐसा नहीं है व पूर्व के नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया की खातेदारी मे खसरा नम्बर 3866 रकवा 17 विस्वा के बिल्कुल सटा हुआ 3858 मिन रकवा 1 बीघा जो पूर्व से ही आपस में सटे हुये है और मौके पर आज भी इसी प्रकार से प्रार्थीया का कब्जा है । इसलिए प्रार्थीया मौका कब्जा व राजस्व रिकार्ड के अनुसार नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त में शुद्धि चाहती है जो न्याय संगत है। प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1984 / 0.16, 1993 / 0.14 पूर्व की भांति आपस में सटे हुये है और मौके पर आज भी इसी प्रकार से प्रार्थीया का कब्जा है जिसे शुद्ध किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक / एल0आर0 / 2023 / 1938 दिनांक 4.09.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रार्थीया रेनू पुत्री घासीराम जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां ने आराजी खसरा नम्बर 1984 / 0.16 व 1985 / 0.04 की शुद्धि चाही है। सावक आ0ख0नं0 3858 / 0.20 (हाल नम्बर 1984 / 0.16 व 1985 / 0.04) बनाये गये हैं जिसमें आ0ख0नं0 1984 / 0.16 पर रेनू पुत्री घासीराम हि0 पूर्ण जाति ब्राहमण खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा आ0ख0नं0 1985 / 0.04 पर गोपाल, पप्पू पिसरान रामचन्द हि0 2 / 3 राकेश मोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

पिसरान गोरधन बहिस्सा बराबर 1/3 जाति माली साकिन कामां दर्ज खातेदार है नवीन नक्शा सीट के अनुसार आ0ख0न0 1993 तथा आ0ख0न0 1984 के मध्य में आ0ख0नं0 1985 दर्शाया गया है । मौका एवं नवीन नक्शा सीट के अनुसार खसरा नम्बर 1984 व 1985 की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

नवीन नक्शा सीट के अनुसार

1980	
1984	
1985	
1993	1994

मौका अनुसार

1980	
1985	
1984	
1993	1994

मौका मुआयना करने पर पाया गया कि खसरा नम्बर 1993 तथा 1984 एक दूसरे से सटे हुये हैं जिन पर रेनू पुत्री घासीराम का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1985 व 1980 आपस में सटे हुये है जिन पर गोपाल पप्पू पिसरान रामचन्द तथा मौहनलाल राकेश पिसरान गोरधन का कब्जा है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074—77, 2067—2070, नकल मिलान क्षेत्रफल, नक्शा 3, आधारकार्ड की फोटो प्रति सलंग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । अप्रार्थी पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में नवीन नक्शा सीट के अनुसार खसरा नम्बर 1980, 1984, 1985 1993, 1994 दर्शाये गये है जबकि मौके के अनुसार खसरा नम्बर 1993 व 1984जो कि आपस में सटे हुये हैं जिन पर रेनू पुत्री घासीराम जाति ब्राहमण का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1985 व खसरा नम्बर 1980 जो आपस में सटे हुए हैं जिन पर गोपाल पप्पू पिसरान रामचन्द तथा मोहनलाल राकेश पिसरान गोरधन का कब्जा है । कब्जे के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

—:: आ दे श ::—

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 भू—राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा मौके के अनुसार खसरा नम्बर 1984/0.16 व 1993/0.14 हैक्टेयर जो आपस में सटे हुए हैं जिस पर प्रार्थीया का कब्जा है को मौके के अनुसार शुद्ध किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होवे। बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.4.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां
(डीग)